न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	मनीषा अग्रवाल, (आर.जे.एस.)
नियमित दाण्डिक प्र.सं.	–	166/2015
CNR NO.	–	RJPG07–000398–2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	88/2023
पुलिस थाना	–	धोलापानी
राजस्थान राज्य	बनाम	जितेन्द्रसिंह वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149, 323, 452, 382, 427 भारतीय दण्ड संहिता

भाग– प्रथम

A

परिवादी	श्री इन्दरमल पिता छोदुलाल, उम्र 29 साल, निवासी अहीर मोहल्ला, प्रतापगढ़, थाना प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़(राज.)
प्रस्तुतकर्ता	
अभियुक्तगण का नाम व पता	01 – जितेन्द्रसिंह पिता गोविंद, उम्र 37 साल, निवासी अंबावली, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़(राज.) 02 – सुरेन्द्रसिंह उर्फ काना पिता कैंसरसिंह, उम्र 30 साल, निवासी जोधपुरिया, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.) 03 – रमेश पिता उदयलाल, उम्र 30 साल, निवासी मोवाई, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़(राज.) 04 – रणजीत कुमार उर्फ राहुल पिता नानुराम, उम्र 29 साल, निवासी चांदोली, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.) 05 – राकेश कुमार पिता दुलीचंद, उम्र 25 साल, निवासी गोमाना रोड़ छोटीसादड़ी, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री राजेश मंगरोरा

B

अपराध की दिनांक	10.09.2023 को करीब सांय 07.30
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.09.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	18.12.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	09.06.2025
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	28.07.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	01.04.2026
निर्णय दिनांक	01.04.2026

दण्डादेश की दिनांक	दोषमुक्त

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्तगण की रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	जितेन्द्रसिंह पिता गोविंद, उम्र 37 साल, निवासी अंबावली, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़(राज.)	14.09.2023	27.09.2023	147, 149, 323, 452, 382, 427 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
02	सुरेन्द्रसिंह उर्फ काना पिता कैंसरसिंह, उम्र 30 साल, निवासी जोधपुरिया, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)	14.09.2023	27.09.2023	147, 149, 323, 452, 382, 427 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
03	रमेश पिता उदयलाल, उम्र 30 साल, निवासी मोवाई, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़(राज.)	14.09.2023	27.09.2023	147, 149, 323, 452, 382, 427 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
04	रणजीत कुमार उर्फ राहुल पिता नानुराम, उम्र 29 साल, निवासी चांदोली, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)	14.09.2023	27.09.2023	147, 149, 323, 452, 382, 427 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
05	राकेश कुमार पिता दुलीचंद, उम्र 25 साल, निवासी गोमाना रोड़ छोटीसादड़ी, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)	14.09.2023	27.09.2023	147, 149, 323, 452, 382, 427 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू 1	नागेश	चश्मदीद साक्ष्य की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 2	नारायणसिंह	चश्मदीद साक्ष्य व निरीक्षण घटनास्थल की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 3	सुगनाबाई	चश्मदीद साक्ष्य की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 4	नर्बदाबाई	चश्मदीद साक्ष्य की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 5	प्रकाशचंद्र	चश्मदीद साक्ष्य व निरीक्षण घटनास्थल की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 6	चैनसिंह	चश्मदीद साक्ष्य की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 7	इंदरमल	एफआईआर की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू 8	धर्मेन्द्रसिंह	अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी, फर्द मौका तस्दीक, फर्द बरामदगी डीवीआर व पीकअप व कार की ताईदकर्ता
ब–बचाव गवाह		
रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–		
स–न्यायालय गवाह		
रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1	चोंट प्रतिवेदन नागेश
2	प्रदर्श पी. 2	फर्द निरीक्षण घटनास्थल
3	प्रदर्श पी. 3	लिखित रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी. 4	चाक एफआईआर
5	प्रदर्श पी. 4ए	फर्द मौका तस्दीक जरिये अभियुक्तगण
6	प्रदर्श पी. 5	फर्द बरामदगी व नक्शा बरामदगी स्थल
7	प्रदर्श पी. 6	फर्द बरामदगी पीकअप व नक्शा बरामदगी
8	प्रदर्श पी. 7	फर्द बरामदगी जीप व नक्शा बरामदगी
9	प्रदर्श पी. 8	फर्द गिरफ्तारी फार्म जितेन्द्रसिंह
10	प्रदर्श पी. 9	फर्द गिरफ्तारी फार्म सुरेन्द्रसिंह
11	प्रदर्श पी. 10	फर्द गिरफ्तारी फार्म रमेश
12	प्रदर्श पी. 11	फर्द गिरफ्तारी फार्म रणजीत कुमार उर्फ राहुल
13	प्रदर्श पी. 12	फर्द गिरफ्तारी फार्म राकेश कुमार

नोट – प्रकरण में सहवन से प्रदर्श पी.04 चाक एफआईआर व प्रदर्श पी.04 फर्द मौका तस्दीक जरिये अभियुक्तगण एक ही प्रदर्श अंकित हो गया है, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से चाक एफआईआर प्रदर्श पी.04 व प्रदर्श पी.04ए फर्द मौका तस्दीक जरिये अभियुक्तगण पढ़ जावे।

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
–		

निर्णय

दिनांकः 01.04.2026

01– इस प्रकरण का उदभव दिनांक थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 452, 382, 427, 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया। जिस कारण यह प्रकरण उदभवित हुआ।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10.09.2023 को प्रार्थी इन्दरमल ने उपस्थित थाना हो एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम अंबावली में पार्टनर में हेमराज मेवाड़ा लाईसेंस धारी के साथ शराब की दुकान स्थित है। उस दुकान पर सेल्समेन नागेश व नारायणसिंह राजपूत उस दुकान को संभालते हैं। दिनांक 10.09.2023 को करीब सांय 07.30 बजे उसको नागेश ने फोन पर बताया कि 01 पीकअप व 02 अन्य गाड़िया दुकान पर आई, जिसमें 20–25 आदमी सवार थे व उसमें से 03 आदमी श्यामलाल, कन्हैयालाल, जितेन्द्रसिंह आये व 05 बीयर मांगी। उसने जैसे ही बीयर उनको दी तो उनके साथ जो 20–25 आदमी थे। उन्होंने व सब ने मिलकर दुकान में घुसे व लाठी–डण्डों से वार करना चालू कर दिया एवं उसके ऊपर भी दो–तीन थप्पड़ से वार किये तो वह जैसे–तैसे भागकर पीछे खेत में जाकर छिप गया एवं जब आकर देखा तो दुकान में बहुत तोड़फोड़ हुई थी एवं गल्ले में लगभग 65 से 70 हजार केश व दुकान के सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर गायब था..आदि–आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना धोलापानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 88/2023 अपराध अंतर्गत धारा 323, 452, 382, 143, 427 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 452, 382, 427, 149 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया था। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या उक्त अपराध का मामला बनना पाये जाने पर दिनांक 09.06.2025 को उक्तानुसार धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

04– दिनांक 09.06.2025 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण रमेश, सुरेन्द्रसिंह, राकेश कुमार, रणजीत तथा जितेन्द्रसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 452, 382, 427, 149 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर लिखित रूप में सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। **दिनांक 09.03.2026 को परिवादी व अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा अंतर्गत धारा 323, 427, 149 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभयपक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। जिस पर अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 427, 149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में बरूये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया।**

05– अभियुक्तगण के दिनांक 01.04.2026 को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् बयान मुलजिम लिये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्यों का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा एवं कथन किया कि वे निर्दोष है।

06– उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिये पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07– अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से जो गवाहान परीक्षित हुये हैं, उनके कथनों में गंभीर विरोधाभास है तथा अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

08– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष **शेष** विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है–

01. **आया आपने दिनांक 10.09.2023 को सांय करीब 07.30 बजे मौजा अंबावली में परिवादी इन्द्रमल व उसके पार्टनर हेमराज की लाईसेंस धारी शराब की दुकान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी इन्द्रमल व नागेश के साथ मारपीट करने के आशय से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर तथा उक्त जमाव का सदस्य होते हुये सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?**

02. **आया आपने दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी इन्द्रमल व उसके पार्टनर हेमराज की लाईसेंस धारी शराब की दुकान में अनाधिकृत रूप में प्रवेश कर गृह–अतिचार किया ?**

03. **आया उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में परिवादी इन्द्रमल व उसके पार्टनर हेमराज की लाईसेंस धारी शराब की दुकान पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की दुकान के गल्ले में लगभग 65 से 70 हजार रूपये व सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर चोरी किया ?**

04. **आया उक्त् दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में परिवादी व उसके पार्टनर हेमराज की लाईसेंस धारी शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर उनकी संपत्ति को नुकसान कर रिष्टी कारित की ?**

05. **यदि हाँ, तो अभियुक्तगण के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा ?**

09– उपरोक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर प्रकरण में कुल 08 गवाहों को परीक्षित करवाये गये हैं। हस्तगत प्रकरण का मुख्य गवाह परिवादी इन्द्रमल गवाह पी.ड.07 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ। जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना बयान लेखन से करीब दो साल पुरानी है। उसने

घटना की रिपोर्ट थाने में करवाई थी। प्रदर्श पी.03 प्रार्थी की रिपोर्ट है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.04 है। पुलिस मौके पर आई थी, नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी.02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि तोड़फोड़ किसने की व लड़ाई–झगड़ा किसने किया यह उसको पता नहीं है। अभी उनके बीच राजीनामा हो चुका है। अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.05 प्रकाश** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना बयान लेखन से दिनांक 10.09.2023 की है। घटनास्थल प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह कथन किया कि उसको किसी लड़ाई–झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किये थे। नक्शा मौका में क्या लिखा उसको पुलिस वालों ने पढ़कर सुनाया था। उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये थे। किस बात के कराये उसको पता नहीं है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.01 नागेश** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि चोंट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वह गिर गया था, जिससे उसको चोंट आई थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह कथन किया कि उसके साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की है और ना ही उसने कोई घटना देखी। वह आरोपियों को नहीं पहचानता हूं।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.02 नारायणसिंह** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने कोई घटना नहीं देखी ना ही नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर है। वह उक्त घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.04 नर्बदा** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना बयान लेखन से दिनांक 10.09.2023 की है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह कथन किया कि उसको किसी लड़ाई–झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहासुनी की बात उसने सुनी थी। तोड़फोड़ की कोई घटना उसके सामने नहीं हुई थी। उसने लड़ाई–झगड़े की कोई बात नहीं सुनी और देखी थी।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.08 धर्मेन्द्रसिंह** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 14.09.2023 को वह कानि. के पद पर थाना धोलापानी पर तैनात था। दिनांक 14.09.2023 को लक्ष्मणलाल थानाधिकारी, थाना धोलापानी ने उसके व कानि. सोहनलाल के समक्ष आप मुलजिमान जितेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, रमेश, रणजीत, राकेश रैगर को गिरफ्तार किया। उसी दिन आप मुलजिमानों की सूचना अनुसार मौका तस्दीक की गई जो मौका तस्दीक प्रदर्श पी.04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक

16.09.2023 फर्द बरामदगी डीवीआर के प्लास्टिक के टुकड़े व कुछ लोहे के टुकड़े भी जप्त किये थे। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन फर्द बरामदगी पीकअप व नक्शा बरामदगी स्थल बनाया था जो प्रदर्श पी.06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन फर्द बरामदगी जीप व नक्शा बरामदगी स्थल बनाया था जो प्रदर्श पी.07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी आप मुलजिम जितेन्द्रसिंह प्रदर्श पी.08 है। फर्द गिरफ्तारी आप मुलजिम सुरेन्द्रसिंह प्रदर्श पी.09 है। फर्द गिरफ्तारी आप मुलजिम रमेश मीणा प्रदर्श पी.10 है। फर्द गिरफ्तारी आप मुलजिम रणजीत कुमार उर्फ राहुल प्रदर्श पी.11 है। फर्द गिरफ्तारी आप मुलजिम राकेश प्रदर्श पी.12 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि हाजिर अदालत मुलजिम है, जिनको वह किसका नाम क्या है यह वह नहीं पहचान सकता हूं। गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब मुलजिमानों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, वहां पर किस–किस के मकान व आराजी है यह वह नहीं बता सकता है। गिरफ्तारी के समय स्वतंत्र गवाह नहीं थे। गवाह ने यह स्वीकार किया कि डीवीआर किस कंपनी का था यह आज उसको याद नहीं है। फर्द बरामदगी जीप व पीकअप के रजिस्ट्रेशन नंबर उसको याद नहीं है। फाईल देखकर बता सकता हूं। इन गाड़ी के मालिक का कौन है यह वह नहीं बता सकता है।

15– अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड.06 चैनसिंह** को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि कब की बात है उसको ध्यान नहीं है। उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने यह कथन किया कि उसको किसी लड़ाई–झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने किसी लड़ाई की बात ना तो सुनी और ना ही देखी थी।

16– सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आई संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन कर उस पर मनन करने से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी इन्द्रमल के द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि ग्राम अंबावली में पार्टनर में हेमराज मेवाड़ा लाईसेंस धारी के साथ शराब की दुकान स्थित है। उस दुकान पर सेल्समेन नागेश व नारायणसिंह राजपूत उस दुकान को संभालते हैं। दिनांक 10.09.2023 को करीब सांय 07.30 बजे उसको नागेश ने फोन पर बताया कि 01 पीकअप व 02 अन्य गाड़िया दुकान पर आई, जिसमें 20–25 आदमी सवार थे व उसमें से 03 आदमी श्यामलाल, कन्हैयालाल, जितेन्द्रसिंह आये व 05 बीयर मांगी। उसने जैसे ही बीयर उनको दी तो उनके साथ जो 20–25 आदमी थे। उन्होंने व सब ने मिलकर दुकान में घुसे व लाठी–डण्डों से वार करना चालू कर दिया एवं उसके ऊपर भी दो–तीन थप्पड़ से वार किये तो वह जैसे–तैसे भागकर पीछे खेत में जाकर छिप गया एवं जब आकर देखा तो दुकान में बहुत तोड़फोड़ हुई थी एवं गल्ले में लगभग 65 से 70 हजार केश व दुकान के सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर गायब था..आदि–आदि।

17– इस संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण की मुख्य गवाह परिवादी इन्द्रमल न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.07 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना करीब दो साल पुरानी है। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में करवाई थी। प्रदर्श पी.03 प्रार्थी की रिपोर्ट है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.04 है। पुलिस मौके पर आई थी, नक्शा

मौका प्रदर्श पी.02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया कि तोड़फोड़ किसने की व लड़ाई–झगड़ा किसने किया यह उसको पता नहीं है। अभी उनके बीच राजीनामा हो चुका है। अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह फरियादी इन्द्रमल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 का यदि अवलोकन किया जावे तो गवाह ने दिनांक 10.09.2023 को सांय करीब 07.30 बजे को अभियुक्तगण द्वारा बीयर मांगने पर उसके द्वारा उनको बीयर दिया जाना एवं तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा दुकान में घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट किया जाना एवं तोड़फोड़ किया जाना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है, परंतु दौराने जिरह गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि तोड़फोड़ किसने की व लड़ाई–झगड़ा किसने किया यह उसको पता नहीं है। जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य में परस्पर एवं गंभीर विरोधाभास प्रकट होता है। जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

18– प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाहान पी.ड.01 नागेश, पी.ड.03 श्रीमती सुगना, पी.ड.04 श्रीमती नर्बदा, पी.ड.06 चैनसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने कोई घटना होते हुये नहीं देखी, उन्होंने कहासुनी की बात सुनी थी। इसके अलावा वे कुछ नहीं जानते है। दौराने जिरह गवाहान ने उन्होंने कोई घटना नहीं देखने बाबत् कथन किये हैं। जिससे परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट की ताईद उक्त गवाहान की साक्ष्य से नहीं होती है कि अभियुक्तगण द्वारा दुकान में घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट कर तोड़फोड़ की गई हो। उपरोक्त गवाहान द्वारा भी अभियुक्तगण की हस्तगत प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं जो अभियोजन पक्ष की कहानी को कमजोर बनाता है।

19– इसी प्रकार प्रकरण के अन्य गवाहान पी.ड.02 नारायणसिंह व पी.ड.05 प्रकाश फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी.02 के गवाह है। गवाह पी.ड.02 नारायणसिंह अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होने बाबत् कथन करता है तथा गवाह पी.ड.05 प्रकाशचंद्र अपने मुख्य परीक्षण में फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी.02 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करता है, परंतु दौराने जिरह नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये थे, किस बात के कराये उसको पता नहीं है। जिससे फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी.02 की ताईद न्यायालय के समक्ष नहीं हो पाई है। इसी प्रकार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.08 धर्मेन्द्रसिंह अनुसंधान संबंधी औपचारिक कथन करता है।

20– अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **147, 452, 382 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा अपराध अंतर्गत धारा **323, 427, 149 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **बरूये राजीनामा दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

आदेश

21– परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 01 – **जितेन्द्रसिंह पिता गोविंद, उम्र 37 साल, निवासी अंबावली, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़(राज.)**, 02 – **सुरेन्द्रसिंह उर्फ काना पिता कैंसरसिंह, उम्र 30 साल, निवासी जोधपुरिया, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)**, 03 – **रमेश पिता उदयलाल, उम्र 30 साल, निवासी मोवाई, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़(राज.)**, 04 – **रणजीत कुमार उर्फ राहुल पिता नानुराम, उम्र 29 साल, निवासी चांदोली, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)**, 05 – **राकेश कुमार पिता दुलीचंद, उम्र 25 साल, निवासी गोमाना रोड़ छोटीसादड़ी, थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)** को अपराध अंतर्गत धारा **147, 452, 382 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है तथा अपराध अंतर्गत धारा **323, 427, 149 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **बरूये राजीनामा दोषमुक्त** अभियुक्तगण बर जमानत उपस्थित है, जिनके अन्वीक्षाकालीन उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

22– न्यायालय के आदेशानुसार धारा–437 (ए) सीआरपीसी के तहत अभियुक्तगण की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत छः माह की अवधि के 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक कराये कि इस निर्णय की अपील होने पर वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

RAVI KANT KHICHI
Digitally signed by RAVI KANT KHICHI
Date: 2026.04.01 18:20:34 +0530

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

23– निर्णय आज दिनांक **01.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

RAVI KANT KHICHI
Digitally signed by RAVI KANT KHICHI
Date: 2026.04.01 18:20:41 +0530

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)